

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2005

का.आ. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

1. श्रीमती अनुराधा मानसिंह — अध्यक्ष
 2. श्री आर. शर्मा — निदेशक
2. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[सं. 40020/14/2002-सी.एच. I]

आर. आई. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2005

S.O. 821(E).—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby appoints the following persons as the Chairperson and the Director of the National Authority established under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

1. Smt. Anuradha Mansingh — Chairperson;
 2. Shri R. Sharma — Director.
2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2005.

[No. 40020/14/2002-CH. I]

R. I. SINGH, Jt. Secy.